



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-22042021-226715
CG-CG-E-22042021-226715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1549]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2021/वैशाख 2, 1943

No. 1549]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2021/VAISAKHA 2, 1943

jy e=ky;

%nf{k.k io el; jyo%

jy vf/kfu;e]1989 dh /kkjk 20 M d vrx'r lpuk

बिलासपुर, 13 अप्रैल, 2021

dk- vk- 1667%v%& केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 01 मार्च 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्याक का आ. 971 (अ) 24 फरवरी, 2021 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् पनियाजोब – बोरतलाव (08 कि.मी.), जो राजनांदगांव – नागपुर (228 कि.मी.) तीसरी लाईन ब्राडगेज रेल परियोजना का अंश है, के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् सबेरा संकेत (राजनांदगांव संस्करण), नई दुनिया, अग्रेंजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ़ इंडिया तारीख 05 मार्च 2021 को प्रकाशित कर दिया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट में रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ड के प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी:

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड कर उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

vulph

छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् पनियाजोब-बोरतलाव (08 कि.मी.), जो राजनांदगांव – नागपुर (228 कि.मी.) रेल परियोजना का अंश है, के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

ft yk % jkt uknxko

jkT; % NRrhIx<

Øe l; ;k	rglhy	xke dk uke	[kljk l; ;k	Hkfe dk idkj	Hkfe dh idfr	{k=Qy gDV; j e	Hk&Lokeh @fgrc) 0; fDr dk uke
1	डोगरगढ़	पनियाजोब	208/6	सिंचित	कृषि	0.086	जोहन, कौशल पिता मूलचंद
2	डोगरगढ़	पनियाजोब	209/2	सिंचित	कृषि	0.065	मंगलू पिता डेरहा
3	डोगरगढ़	बोरतलाव	204/2	असिंचित रोड से लगा हुआ	कृषि	0.105	संजय टेकाम पिता चैतराम
4	डोगरगढ़	बोरतलाव	213/1	असिंचित रोड से लगा हुआ	कृषि	0.024	रैनसिंग, कुवंरलाल, सुरज, धन्नूलाल, घासनबाई, चम्पाबाई, रेणुका बाई सभी पिता सोमनाथ, कौशिल्या बाई बेवा सोमनाथ किशोरी, भोलाराम, दुर्गाबाई पिता बन्नूलाल देवबती पति बन्नूलाल
5	डोगरगढ़	बोरतलाव	212/1	असिंचित रोड से लगा हुआ	कृषि	0.012	बृजलाल, मेहतरीन, कुंवरीया, पवरिया सभी पिता चैतू
6	डोगरगढ़	बोरतलाव	211/4	असिंचित	कृषि	0.017	डी. श्रीनिवास राव पिता डी. हरीनारायण राव
7	डोगरगढ़	बोरतलाव	211/5	असिंचित	कृषि	0.166	प्रमिला पिता फुलसिंग
8	डोगरगढ़	बोरतलाव	624/4	असिंचित रोड से लगा हुआ	पड़त	0.061	भेषराम पिता रंजन

[स. सी.ए.ओ./सी/बी.एस.पी./आर.जे.एन.-डी.जी.जी./20ई/]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY)

Notice Under Section 20E of the Railway Act, 1989

Bilaspur, the 13th April, 2021

S.O. 1667(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 971 (E) dated the 24th February 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 01st March 2021 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely Paniajob - Bortalao 3rd line (08 km) part of Rajnandgaon - Nagpur 3rd line (228 km) in Rajnandgaon District in the state of Chhattisgarh.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, and Savera Sanket (Rajnandgoan Edition), Naiduniya, The Times of India (Raipur Edition) of dated 05 March 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Panijab - Bortalao 3rd line (08 km) part of Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 km) in Rajnandgaon District in the state of Chhattisgarh.

District – Rajnandgaon

State - Chhattisgarh

S.No.	Tehsil	Name of Village	Khasra Number	Type of Land	Nature of Land	Acquired area in Hectare	Name of Land Owner/Interested Person
1	Dongargarh	Panijab	208/6	Irrigated	Non residential	0.086	Johan, Koushal Father Mulchand
2	Dongargarh	Panijab	209/2	Irrigated	Non residential	0.065	Manglu Father Derha
3	Dongargarh	Bortalao	204/2	Unirrigated near road	Non residential	0.105	Sanjay Tekam Father Chaitram
4	Dongargarh	Bortalao	213/1	Unirrigated near road	Non residential	0.024	Rainsingh, Kuwarlal, Suraj, Dhannulal, Ghasanbai, Champabai, Renukabai, all father Somnath, Kosilyabai bewa Somnath, Kishori, Bholaram, Durgabai Father Bannulal, Devbati Husband Bannulal
5	Dongargarh	Bortalao	212/1	Unirrigated near Road	Non residential	0.012	Brijlal, Mehtrin, Kuwariya, Pawariya all Father Chaitu
6	Dongargarh	Bortalao	211/4	Unirrigated	Non residential	0.017	D. Shriniwas Rao Father D. Harinarayan Rao
7	Dongargarh	Bortalao	211/5	Unirrigated	Non residential	0.166	Pramila Father Fulsingh
8	Dongargarh	Bortalao	624/4	Unirrigated near Road	Non residential	0.061	Bheshram Father Ranjan

[No. CAO/C/BSP/RJN-DGG/20E/]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Const.)